23.1.18

67/2016 मंगेज कंवर आदि — हीरालाल आदि

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट सं0- 6 से 8 ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 100 रकबा 7.07 हैक्टर वाके ग्राम शेखीसर वादीगण के कब्जा काश्त की है । इस आराजी से प्रतिवादी सं0-1 से 5 के पिता का तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। किन्तु उक्त आराजी गलत रूप से प्रतिवादी सं0-1 से 5 के पिता रामलाल के नाम दर्ज हो गई । इस बाबत रामलाल ने एक प्रार्थना पत्र सन् 1978 में लिख दिया था कि इस आराजी से उसका कोई सम्बनध नहीं है यह आराजी मानसिंह के खाते कब्जे की है। यह लिखावट ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच लिखमाराम के सामने लिख कर अपना अंगूठा निशानी कर दी थी थी ।इस आराजी पर वादीगण के पिता मानसिंह का 50 वर्षो से कबजा है पुखता मकान बने हुये है। मानसिंह का देहान्त हुये 10 वर्ष हो गये । खाता वादीगण के नाम करवाने के लिये प्रतिवादीगण को कहा गया किन्तु उन्होंने दिनांक 20-5-2010 को मना कर दिया जिस पर यह दावा किया गया । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में चल रही थी। वादीगण ने शपथ पत्र पीडब्लू-1 से8 प्रस्तुत किये गये जिसमें शिशपाल के शपथ पत्र की प्रतिपरीक्षा की गई शेष की बिना प्रतिपरीक्षा किये ही आदेश पारित कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 22-12-2015 में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत है। इसके बाद कुल 6 पेशिया पंडी जिनमें मोहर लगाकर पेशीया दी गई तथा बिना साक्ष्य लिये ही दिनांक 9-5-16 को बहस सुनी जाकर कैम्प कोर्ट रोलसाहबसर में निर्णय कर दिया। अर्थात पत्रावली में वादी की साक्ष्य भी नहीं ली गई तथा न ही दावे में अपनाये जाने वाली विधिक प्रक्रिया को पूरा किया है । अतः हम प्रकरण को दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय हेतु अदालत मातहत में रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-5-2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेते हुये प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः धारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 5-3-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 23/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	